पत्रांक–3ए–3–भत्ता–02/2024 6039 /वि०, पटना दिनांकः– 05/06/2024

बिहार सरकार

वित्त विभाग

विषयः– बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को अनुमान्य एयर कंडीशनर के क्रय की अधिसीमा के निर्धारण एवं उच्चतर शिक्षा भत्ता के क्रियान्वयन के संबंध में स्पष्टीकरण।

वित्त विभागीय संकल्प संख्या–2140, दिनांक–28.02.2024 की कंडिका–3(IX) में द्वारा बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को उच्चतर शिक्षा भत्ता का प्रावधान किया गया है।

2. माननीय उच्च न्यायालय के अंतर्गत गठित Committee for Service Condition of District Judiciary (CSDJ) की बैठक दिनांक–28.02.2024 को विभिन्न हित धारकों एवं बिहार न्यायिक सेवा एसोसिएशन से विचार–विमर्श के उपरांत विधि विभागीय पत्रांक–1760 दिनांक–06.03.2024 के द्वारा उच्चतर शिक्षा भत्ता के क्रियान्वयन को स्पष्ट किये जाने की अनुशंसा की गई। उक्त आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग से उच्चतर शिक्षा भत्ता के प्रावधानों के समीक्षोपरांत कार्यान्वयन के बिंदु को स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया।

3. सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्शोपरांत उक्त संकल्प की कंडिका–3(IX) में किये गये उच्चतर शिक्षा भत्ता के प्रावधानों के क्रियान्वयन को निम्नवत् स्पष्ट किया जाता है :–

I. अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ ACP (ACP-I एवं II) पर भी देय होगा तथा न्यायिक पदाधिकारी को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) से सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) से जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नत होने पर अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ अनुमान्य होगा।

II. अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ जिला न्यायाधीश संवर्ग में जिला न्यायाधीश (प्रवेश बिन्दु) से जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) में एवं जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) से जिला न्यायाधीश (अधिकाल वेतनमान) में भी अनुमान्य होगा।

III. अग्रिम वेतन वृद्धि सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए वेतन का हिस्सा होगा और उस पर महँगाई भत्ता देय होगा।

4. वित्त विभागीय संकल्प की कंडिका–3(XI)(f)(b) के द्वारा बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के आवास पर हर पाँच साल में एक बार, वास्तविक अभिश्रव के आधार पर एयर कंडीशनर प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु एयर कंडीशनर (स्टेबलाईजर सहित) के क्रय की अधिसीमा ₹ 45,000/– (पैंतालीस हजार मात्र) होगी।

ह०/–
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक–3ए–3–भत्ता–02/2024__________**/वि०** पटना, दिनांक–______________

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले० एवं हक०) का कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक–3ए–3–भत्ता–02/2024__________**/वि०** पटना, दिनांक–______________

प्रतिलिपि– महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा / सचिव, बिहार विधान परिषद्, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक–3ए–3–भत्ता–02/2024 6039 **/वि०** पटना, दिनांक– 05-06-2024

प्रतिलिपि– सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सभी सचिव/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी / सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी जिला लेखा पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग / सिस्टम एनालिस्ट (वित्त विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।
05/6/2024